

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 40]	नई दिल्ली, अक्टूबर 11—अक्टूबर 17, 2015, शनिवार/आश्विन 19—आश्विन 25, 1937
No. 40]	NEW DELHI, OCTOBER 11—OCTOBER 17, 2015, SATURDAY/ ASVINA 19—ASVINA 25, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2015

सा.का.नि.196.—एतद्वारा राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय तथा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य के निदेशकों के कार्यालयों में स्टाफ कार चालक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2006 का अधिक्रमण करते हुए स्टाफ कार चालक विशेष ग्रेड से संबंधित ऐसे अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में स्टाफ कार चालक विशेष ग्रेड के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:** (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय तथा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालय, स्टाफ कार चालक विशेष ग्रेड समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2015 होगा।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान :** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे सम्बद्ध वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों में अनुबद्ध अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हताएं :** वह व्यक्ति,-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, आदेश द्वारा, और उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या चयन अथवा अचयन पद है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
स्टाफ कार चालक विशेष ग्रेड।	2* (2015) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैण्ड-2, 9300-34800/- रुपये जमा ग्रेड वेतन 4200/-रुपये	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।
(9)	(10)	(11)
2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : स्टाफ कार चालक ग्रेड I वेतन बैंड-1 में 5200-20200/-रुपये जमा ग्रेड वेतन 2800/-रुपये के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा के साथ। नोट 1: जहां उन कनिष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी वांछित अर्हक अथवा पात्रता सेवा, ऐसी मांगी गई अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम नहीं होनी चाहिए और पहले ही ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूर्ण कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ ही अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं। नोट 2 : पदोन्नति के उद्देश्य से न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने हेतु किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006, अथवा छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा लागू किए जाने की दिनांक से पहले की गई नियमित सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तदनुसूची ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है ?	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार हेतु) में शामिल हैं :- (1) भारत के महारजिस्ट्रार - अध्यक्ष (2) भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार अथवा उप सचिव - सदस्य (3) अवर सचिव अथवा उप निदेशक जनगणना कार्य, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-51011/4/2011-प्रशा-V]

पंकज कुमार देवरानी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

New Delhi, the 15th October, 2015

G. S. R.196.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in partial supersession of the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories, Staff Car Drivers Group 'C' Post Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession relating to Staff Car Driver Special Grade, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver Special Grade in the Office of the Registrar General, India, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Directorate of Census Operations in States and Union territories Staff Car Driver Special Grade Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification pay band and grade pay or pay scale.—The number of the post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post
1	2	3	4	5
Staff Car Driver Special Grade.	2* (2015) * (subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	P B-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4200/-	Non- Selection

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.
6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
9	10	11
2 years	By promotion	Promotion: Staff Car Driver Grade I in the Pay Band -1; Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2800 with 3 years' regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for appointment, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay Commission.

If a Departmental Pomotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
12	13
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Registrar General, India - Chairman 2. Joint Registrar General, India or Deputy Secretary - Member 3. Under Secretary or Deputy Director of Census Operations, Office of the Registrar General, India - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-51011/4/2011-Ad.V]

PANKAJ KUMAR DEVRANI, Under Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय**(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)**

नई दिल्ली, 15 जून, 2015

सा.का.नि.197.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (विधि सलाहकार एवं अभियोजक) भर्ती नियम, 2013 को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (विधि सलाहकार एवं अभियोजक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (विधि सलाहकार एवं अभियोजक) भर्ती नियम, 2013 की अनुसूची में सहायक लोक अभियोजक के पद से संबंधित है क्रम सं 5 के सामने।
(i) कॉलम (7) के अधीन-
(क) टिप्पणि 1 में “कर्मचारी चयन आयोग” शब्दों के स्थान पर “संघ लोक सेवा आयोग” रखे जाएंगे।
(ख) टिप्पणि 2 में, दोनों स्थानों पर आए “कर्मचारी चयन आयोग” शब्दों के स्थान पर “संघ लोक सेवा आयोग” शब्द रखे जाएंगे।
(ii) स्तम्भ (13) के अधीन, “संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं” प्रविष्टि के स्थान पर को “संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 213/1/2011-एवीडी-II (पार्ट-I)]

अजीत कुमार, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 32 दिनांक 5 फरवरी, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)**

New Delhi, the 15th June, 2015

G.S.R.197.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Bureau of Investigation (Legal Advisers and Prosecutors) Recruitment Rules, 2013, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Bureau of Investigation (Legal Advisers and Prosecutors) Recruitment (Amendment) Rules, 2015.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule to the Central Bureau of Investigation (Legal Advisers and Prosecutors) Recruitment Rules, 2013, against serial number 5 relating to the post of Assistant Public Prosecutor,-
(i) under column (7)-
(a) in Note 1, for the words “Staff Selection Commission”, the word “Union Public Service Commission” shall be substituted;
(b) in Note 2, for the words, “Staff Selection Commission” occurring at both the places, the words “Union Public Service Commission” shall be substituted;
(ii) under Column (13), for the entry “Consultation with Union Public Service Commission is not necessary”, the entry “Consultation with Union Public Service Commission is necessary” shall be substituted.

[F. No. 213/1/2011-AVD.II (Pt.I)]

AJIT KUMAR, Under Secy.

Foot Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 32, dated the 5th February, 2013.

SUPREME COURT OF INDIA**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 7th October, 2015

G.S.R. 198.—In the Notification of the Supreme Court of India No. G.S.R. 843(E) dated 21st November, 2014 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) on page 2, the Category No. 43A against the post of Court Assistant (Junior Translator) (Ex-Cadre) may be read as Category No. 43B.

[No. 34/2007/SCA(1)]

M. K. HANJURA, Registrar (Admn. I)